बिहार सरकार (21) आई० टी० मैनेजर
पथ निर्माण विभाग

## अधिसूचना

अधि0सं0–निग / सारा–1 (पथ) नि०वि०–09 / 2021– 1482 (S) पटना, दिनांक 17/2/26

श्री कौन्तेय कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी पथ प्रमंडल, पटना के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में निगरानी थाना कांड संख्या–38 / 2021 दर्ज होने के फलस्वरूव विभागीय अधिसूचना संख्या–5049 (एस) दिनांक 06.10.2021 के द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। श्री कुमार के निलंबन के 07 माह के अन्दर आरोप पत्र गठित नहीं होने के कारण Bihar CCA Rule-2005 के नियम–9 (7) के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–987–सहपठित ज्ञापांक–988 (एस) दिनांक 23.02.2023 के द्वारा श्री कुमार के निलंबन अवधि के 07 माह पूर्ण होने की अगली तिथि 06.05.2022 के प्रभाव से निलंबन मुक्त कर दिया गया। साथ ही आरोप की गंभीरता को देखते हुए बिहार CCA Rule 2005 के नियम 9 (1) (क) एवं (ग) के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–1078 (एस), दिनांक 27.02.2023 के द्वारा श्री कुमार को उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु निर्गत विभागीय संकल्प की तिथि 21.06.2022 के प्रभाव से पुनः निलंबित किया गया। इस प्रकार श्री कुमार दिनांक 21.06.2022 से लगातार निलंबित है।

2. श्री कुमार के अभ्यावेदन पत्रांक–शून्य दिनांक–22.04.2025 के द्वारा निलंबन अवधि के दौरान नियमित तौर पर निर्धारित मुख्यालय में उपस्थिति दर्ज किये जाने, उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में विलम्ब होने तथा निलंबन अवधि के दौरान किसी अन्य नियोजन / कारोबार / पेशा / व्यवसाय में नहीं लगे होने का उल्लेख करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10 (1) (I) में अन्तर्निहित प्रावधान के तहत् देय जीवन निर्वाह भत्ता में 50% वृद्धि करने का अनुरोध किया गया है।

3. मामले के समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री कुमार को निलंबित हुए 12 माह से अधिक अवधि हो गया है तथा उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में जाँच प्रतिवेदन सम्प्रति अप्राप्त है। अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–10 (1) (I) में अन्तर्निहित प्रावधान के आलोक में उन्हें देय जीवन निर्वाह भत्ता में 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी किया जाता है।

4. विभागीय अधिसूचना सं०– 1078 (एस), दिनांक 27.02.2023 की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से,**

ह० / –

सरकार के अवर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग / सारा–1 (पथ) नि०वि०–09 / 2021– पटना, दिनांक......................

**प्रतिलिपि** :–महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

सरकार के अवर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

E/Nigrani Section/2011-12/Deepak Kumar/Adhisuchna/k.Adesh

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक :– निग/सारा–1 (पथ) नि०वि०–09/2021– पटना, दिनांक.......................

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा–आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–1 (पथ) नि०वि०–09/2021– पटना, दिनांक.......................

प्रतिलिपि :– सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना /मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी पथ प्रमंडल, पटना/उप सचिव (प्र0को0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (मु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (लेखा)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/6/13/14, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/रोकड़ शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/श्री कौन्तेय कुमार, निलंबित कार्यपालक आभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा– **अवर सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–1 (पथ) नि०वि०–09/2021– 1483 (S) पटना, दिनांक 17/2/26

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

16.02.2026
सरकार के अवर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
16.02.26

I/Nigrani Section/2021-22/Deepak Kumar/Adhisuchna/k.Adesh